

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 मई 2021—वैशाख 31, शक 1943

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मुन्नी बाई वर्मा ध. प. स्व. बेदलाल वर्मा, उम्र 60 वर्ष, जाति लोधी, निवासी-शंकरपुर, वार्ड नं.-10, शारदा चौक, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम मुन्नी बाई वर्मा है. जो कि मेरे आधार कार्ड, परिचय पत्र, बैंक रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा घरेलू नाम बासन बाई है, जिसे परिवर्तित कर, अपने वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब से मुझे श्रीमती मुन्नी बाई वर्मा ध. प. स्व. बेदलाल वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती बासन बाई वर्मा
पति-स्व. बेदलाल वर्मा
निवासी-शंकरपुर, वार्ड नं.-10,
शारदा चौक, राजनांदगांव,
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती मुन्नी बाई वर्मा
पति-स्व. बेदलाल वर्मा
निवासी-शंकरपुर, वार्ड नं.-10,
शारदा चौक, राजनांदगांव,
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गजेन्द्र पोयाम आत्मज श्री उसारू राम पोयाम, उम्र 40 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी-ग्राम धनसुली, तहसील कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम गांडाराम था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम गजेन्द्र पोयाम रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे गजेन्द्र पोयाम आत्मज श्री उसारू राम पोयाम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

गांडाराम
पिता-श्री उसारू राम पोयाम
निवासी-ग्राम-धनसुली,
तहसील-कोण्डागांव,
जिला-कोण्डागांव (छ. ग.)

नया नाम

गजेन्द्र पोयाम
पिता-श्री उसारू राम पोयाम
निवासी-ग्राम-धनसुली,
तहसील-कोण्डागांव,
जिला-कोण्डागांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती उमा कटोच ध. प. श्री अनिल कटोच, उम्र 52 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-6-ए, सड़क- नं. 43, सेक्टर-5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम Damma Uma Devi आत्मजा D. Appa Rao था जो कि मेरे कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है। मेरा विवाह दिनांक 21-06-1991 को श्री अनिल कटोच के साथ संपन्न हुआ। पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती उमा कटोच रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती उमा कटोच ध. प. श्री अनिल कटोच के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

Damma Uma Devi
पिता-D. Appa Rao
निवासी-क्वा. नं.-6-ए,
सड़क- नं. 43,
सेक्टर-5, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती उमा कटोच
पति-श्री अनिल कटोच
निवासी-क्वा. नं.-6-ए,
सड़क- नं. 43,
सेक्टर-5, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती बिंदु प्रदीप नायर ध. प. श्री कृष्णन प्रदीप कुमार, उम्र 50 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-5-बी, सड़क-42, सेक्टर-5, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम श्रीमती बिंदु प्रदीप नायर ध.प. श्री कृष्णन प्रदीप कुमार है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड व बैंक रिकार्ड में दर्ज है। मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं तथा मैं केन्द्रीय विद्यालय संगठन दुर्ग में कार्यरत हूँ। मेरे पति तथा मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम बिंदु पी. नायर ध.प. के. प्रदीप कुमार दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम को समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों, दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती बिंदु प्रदीप नायर (Smt. Bindu Pradeep Nair) ध. प. श्री कृष्णन प्रदीप कुमार (Shri Krishnan Pradeep Kumar) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

बिंदु पी. नायर (Bindu P. Nair)
पति- श्री के. प्रदीप कुमार
(W/o- Shri Krishnan Pradeep Kumar)
निवासी-क्वा. नं.-5-बी, सड़क-42, सेक्टर-5,
भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती बिंदु प्रदीप नायर
(Smt. Bindu Pradeep Nair)
पति- श्री कृष्णन प्रदीप कुमार
(W/o- Shri Krishnan Pradeep Kumar)
निवासी-क्वा. नं.-5-बी, सड़क-42, सेक्टर-5,
भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रूखसाना शेख ध. प. श्री नवाब अमीर शेख, उम्र 59 वर्ष, निवासी-एम.आई.जी.-02/397, हुडको, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम रूखसाना आत्मजा अहमद खान था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र व निवास प्रमाण पत्र में दर्ज है। विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती रूखसाना शेख रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती रूखसाना शेख (Smt. Rukhsana Sheikh) ध. प. श्री नवाब अमीर शेख (N. A. Sheikh) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

रूखसाना
(Rukhsana)
पिता-अहमद खान
निवासी-एम.आई.जी.-02/397,
हुडको, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती रूखसाना शेख
(Smt. Rukhsana Sheikh)
पति-श्री नवाब अमीर शेख
(W/o- Shri N. A. Sheikh)
निवासी-एम.आई.जी.-02/397,
हुडको, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पनमेश्वर राम पैकरा आत्मज श्री मेवालाल, उम्र 50 वर्ष, जाति कंवर, निवासी-ग्राम-मरहठा, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सोनगरा में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम पनमेश्वर राम दर्ज है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “पैकरा” जोड़कर नया नाम पनमेश्वर राम पैकरा रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे पनमेश्वर राम पैकरा आत्मज श्री मेवालाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
पनमेश्वर राम पिता- श्री मेवालाल निवासी-ग्राम-मरहठा, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (छ. ग.)	पनमेश्वर राम पैकरा पिता- श्री मेवालाल निवासी-ग्राम-मरहठा, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती गीता पेरकर आत्मजा श्री आर. पी. डी. राजू, उम्र 43 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-3-जी, सड़क नं.-82, सेक्टर-6, क्वाटर टाईप-0ए-3, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम गीता पेरकर था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, पेनकार्ड में दर्ज है। मेरा विवाह दिनांक 18-11-2019 को श्री शैलेश जाधव के साथ संपन्न हुआ पश्चात् मेरा नाम गीता जाधव हो गया जो कि मेरे आधार कार्ड, सर्विस रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर, मैं मेरे पूर्व नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती गीता पेरकर आत्मजा श्री आर. पी. डी. राजू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
गीता जाधव पति-श्री शैलेश जाधव निवासी- क्वा. नं.-3-जी, सड़क नं.-82, सेक्टर-6, क्वाटर टाईप-0ए-3, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	गीता पेरकर पिता-श्री आर. पी. डी. राजू निवासी- क्वा. नं.-3-जी, सड़क नं.-82, सेक्टर-6, क्वाटर टाईप-0ए-3, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती बच्ची देवी यादव ध. प. श्री राम सागर यादव, उम्र 65 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-02, मठपारा, शक्ति नगर, नंदिनी रोड, जामुल सीमेंट वर्क्स जामुल, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरा व मेरे पति का वास्तविक नाम श्रीमती बच्ची देवी यादव ध. प. श्री राम सागर यादव है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे नाम की अचल संपत्ति के राजस्व अभिलेखों में मेरा नाम श्रीमती बच्ची देवी ध. प. श्री राम सागर, श्री राम सागर राय दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती बच्ची देवी यादव ध. प. श्री राम सागर यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

श्रीमती बच्ची देवी
पति-श्री राम सागर
श्री राम सागर राय
निवासी-वार्ड नं.-02, मठपारा, शक्ति नगर,
नंदिनी रोड, जामुल सीमेंट वर्क्स जामुल,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती बच्ची देवी यादव
पति-श्री राम सागर यादव
निवासी-वार्ड नं.-02, मठपारा, शक्ति नगर,
नंदिनी रोड, जामुल सीमेंट वर्क्स जामुल,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेन्द्र कुमार पटेल आत्मज स्व. सुखाभाई पटेल, उम्र 54 वर्ष, निवासी-म. नं.- 4 ए., सड़क-36, सेक्टर-10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं जवाहर लाल नेहरू हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम राजेन्द्र कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “पटेल” जोड़कर नया नाम राजेन्द्र कुमार पटेल रख लिया हूँ मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे राजेन्द्र कुमार पटेल आत्मज स्व. सुखाभाई पटेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

राजेन्द्र कुमार
पिता-स्व. सुखाभाई पटेल
निवासी-म. नं.- 4 ए., सड़क-36, सेक्टर-10,
भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

राजेन्द्र कुमार पटेल
पिता-स्व. सुखाभाई पटेल
निवासी-म. नं.- 4 ए., सड़क-36, सेक्टर-10,
भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

**कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)
कलेक्ट्रेट के सामने पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर (छ. ग.)**

बिलासपुर, दिनांक 27 फरवरी 2021

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2021/527.—वस्तुतः मोपका दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. मोपका पं. क्र. 3562 दिनांक 28-12-94 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1950 दिनांक 23-10-2018 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एम. आर. ध्रुव अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत मोपका दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. मोपका पं. क्र. 3562 दिनांक 28-12-94 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 27 फरवरी 2021

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2021/528.—वस्तुतः गौण खनिज सहकारी समिति मर्या. सिलपहरी पं. क्र. 143 दिनांक 17-03-2003 विकास खण्ड मरवाही जिला बिलासपुर (छ. ग.) वर्तमान में जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को कार्यालयीन/आदेश क्रमांक/परि./2015/411 दिनांक 07-02-2015 संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1913 दिनांक 14-08-2017 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री दीपक कंवर सहकारिता विस्तार अधिकारी पेण्ड्रा को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत गौण खनिज सहकारी समिति मर्या. सिलपहरी पं. क्र. 143 दिनांक 17-03-2003 विकास खण्ड मरवाही जिला बिलासपुर (छ. ग.) वर्तमान में जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 27 फरवरी 2021

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2021/529.—वस्तुतः गणेश प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 3137 दिनांक 17-4-85 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/06/1295 दिनांक 11-09-2006 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1950 दिनांक 23-10-2018 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एम. आर. ध्रुव अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत गणेश प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 3137 दिनांक 17-04-85 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

मंजू महेन्द्र पाण्डेय
उप पंजीयक.